न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 98/2021(जी.सी.एम.एस.2021/168)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. जसकीरत सिंह पुत्र सन्दीप सिंह नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता अमरजीत कौर पत्नी सन्दीप सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी गांव 12 एच मोहल्ला हाल आबाद अक्कावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	1. सन्दीप सिंह पुत्र बुटा रिंह जाति मजबी सिख निवासी गांव 12 एच मोहल्ला तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। 2. कर्मजीत कौर पत्नी सरदूल रिंह पुत्री बूटा रिंह जाति मजबी निवासी पिंड पंजावा तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब। 3. बलजिन्द्र कौर पत्नी निक्का रिंह पुत्री बूटा रिंह निवासी मिर्जेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। 4. अमनदीप कौर पत्नी सुखवन्त रिंह पुत्री बूटा सिंह जाति मजबी सिख निवासी गांव ओलखां तहसील मुक्तसर जिला मलोट, पंजाब। 5. रमनदीप कौर पत्नी गुरजीत सिंह पुत्री बूटा सिंह जाति मजबी सिख निवासी चक 20 बी.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान। 6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:– 06.10.2021

उपस्थित: 1.श्री अशोक कुमार जोशी अधिवक्ता वादी

––निर्णय––

दिनांक: 17.05.2022

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के दादा बूटा सिंह पुत्र ढोला सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 12 एच मौहलां तहसील श्रीकरनपुर के नाम चक 4 आर तहसील श्रीकरनपुर के खाता संख्या 17/22 सम्वत 2036–40 के मुरबा नं0 16 के किला नं0 1 ता 25 प्रत्येक सालम–सालम कुल 25 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 12 बीघा 10 बिस्वा नहरी भूमि बतौर खातेदार दर्ज कागजात माल थी। यह भूमि बूटा सिंह को अपने पिता ढोला सिंह से विरास्तन प्राप्त हुई थी। इस बाबत नामान्तरण संख्या 35 दिनांक 06.10.1977 दर्ज किया गया। उक्त भूमि वादी के पड़दादा ढोला सिंह पुत्र दान सिंह को आवंटित हुई थी, जो उनके नाम से चक 4 आर तहसील श्रीकरनपुर के भू प्रबंधक विभाग की जमाबंदी खतौनी संख्या 19/15 सम्वत 2027–36 में बतौर गैरखातेदारी दर्ज कागजात माल है। वादी के दादा व उनके भाई छोटा सिंह ने अपने पिता से प्राप्त उक्त 25 बीघा भूमि के सम्बन्ध में परस्पर सहमति से किला वाईज विभाजन निश्चित कर राजस्व अभिलेख में अपनी अपनी हिस्सा की भूमि का किला वाईज विभाजन करवाकर पृथक से खाता कायम करवा लिया, इस विभाजन में वादी के दादा बूटा सिंह को मुरबा नं0 16 के किला नं0 2, 9, 12, 19, 22, 3, 8, 13, 18, 23, 5 व 6 प्रत्येक सालम–सालम तथा किला नं0 15/1 की 0.127है0 कुल 3.162है0 नहरी भूमि हिस्सा में आई। इस विभाजन का अमल दरामद जरिये इन्तकाल नं0 332 दिनांक 28.01.2006 को राजस्व अभिलेख में हुआ। उक्त भूमि उत्तरोतर जमाबन्दीयों में बूटा सिंह के नाम दर्ज होती रही, इस भूमि में से बूटा सिंह ने वादी के पिता संदीप सिंह के बाल्यकाल में ही 6 बीघा भूमि उनके नाम लगवा दी तथा शेष 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि बूटा सिह के नाम शेष रही। इस प्रकार से चक 4–आर तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 97/77 सम्वत 2074–77 में दर्ज मु0नं0 16 के किला नं0 9, 12, 18, 19, 22 व 23 की प्रत्येक 0.253 हैक्टर यानि कुल 1.518 है0 भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 संदीप सिंह पुत्र बूटा सिंह के नाम बतौर खातेदारी दर्ज माल है। यह भूमि पैतृक

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

जायदाद की परिभाषा में आती है तथा वादी स्वर्गीय बुटा सिंह का उत्तरजीवी होने के कारण जन्म से ही प्रतिवादी सदीप सिंह के साथ इस भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 0.759 है0 का हकदार है। बूटा सिंह ने कालान्तर में अपने नाम शेष बची भूमि 6 बीघा 10 बिस्वा में से 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को अन्यत्र व्ययन कर दिया, शेष 4 बीघा भूमि उनके नाम दर्ज है इस प्रकार वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 77/77 सम्वत्त 2073–76 में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1.518है0 भूमि तथा खाता संख्या 62/69 सम्वत्त 2074–2077 में स्व0 बूटा सिंह के नाम दर्ज 1.011है0 नहरी भूमि पैतृक जायदाद है तथा उक्त भूमि में भी वादी, प्रतिवादी संदीप सिंह को प्राप्त होने वाले 1/5 हिस्सा में से 1/2 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। सन्दीप सिंह प्रतिवादीगण संख्या 4 व 5 के अराम्यक प्रभाव में आकर अपनी पत्नी अथवा वादी की माता के मारपीट कर घर से निकाल चुका है। विभिन्न प्रकार के नशों का आदी है। जब कभी भी प्रतिवादी को नशे आदी से रोका जाता है तो वह झगड़ा करने को उतारू हो जाता है। इस बाबत कई बार बिरादरी के लोगों की पंचायत भी हुई है। सन्दीप सिंह द्वारा आज से अर्सा करीब दो माह पूर्व नशे में धुत होकर वादी व उसकी माता के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया तत्पश्चात पंचायत की तो पंचायत में प्रतिवादी द्वारा ऐलानियां कहा गया कि वह अपने नाम जमीन होने का फायदा उठाकर उसे बेचान कर खुर्द–बुर्द करेगा। यह ही विनाय मुखास्मत दावा हैं। वादाधीन कृषि भूमि चक 4 आर तहसील श्रीकरणपुर में स्थित होने के कारण वाद–पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। अतः वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 92ए, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद–पत्र वादी स्वीकार कर निम्न प्रकार से डिक्री किया जावे। कि चक 4–आर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी खतौनी संख्या 62/59 सम्वत 2074–77 के मु0नं0 16 के किला नं0 2, 3, 8 व 13 प्रत्येक 0.253है0 कुल 1.011 हैक्टर भूमि में संदीप सिंह को विरास्तन प्राप्त 1/5 हिस्सा यानि (0.200 हैक्टर) में से वादी को 1/2 हिस्सा का व इसी प्रकार 4–आर तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी खतौनी संख्या 79/77 सम्वत 2074–77 के मु0नं0 16 के किला नं0 8, 12, 18, 19, 22 व 23 प्रत्येक 0.253है0 कुल 1.518है0 नहरी जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है में वादी 1/2 हिस्सा अर्थात (0.759 हैक्टर) नहरी भूमि का खातेदार घोषित किया जावे, तदानुसार विभाजन की आरम्भिक डिक्री पारित करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर खाता तकसीम किया जावे तथा अलग से लगान भी कायम किया जावे व उक्त भूमि के सबंध में स्थायी निषेधज्ञा कायम की जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण मे प्रतिवादीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इसलिये प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादी अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम 4 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 77 के खाता संख्या 79/77 के मुरब्बा नम्बर 16 की 1.518 हेक्टैयर भूमि वादी के पिता संदीप सिंह के नाम व खाता संख्या 62/59 के मु.न. 16 की कुल 1.011 हेक्टैयर भूमि वादी के दादा

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मृतक बूटा सिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी के पिता संदीप सिंह के नाम दर्ज उक्त 1.518 हेक्टैयर भूमि में से 1/2 हिस्सा यानि 0.759 हेक्टैयर भूमि का व वादी के दादा मृतक बूटा सिंह के नाम दर्ज 1.011 हेक्टैयर भूमि में से 0.101 हेक्टैयर भूमि का वादी जसकीरत सिंह को खातेदार घोषित किया जाता है। माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादी के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिटस एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शामिल मिसल की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 4 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई खारिज किया जाता है

4. बहस वादी अधिवक्ता सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वादपत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईस्तदुआ की है। बहस वादी अधिवक्ता, तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

–:आदेश:–

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम 4 आर, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर के खाता संख्या 79/77 के मुरब्बा नम्बर 16 की 1.518 हेक्टैयर भूमि व खाता संख्या 62/59 के मुरब्बा नम्बर 16 की कुल 1.011 हेक्टैयर भूमि में से वादी जसकीरत सिंह के हिस्सा की भूमि बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान रुपए में
1	जसकीरत सिंह पुत्र सन्दीप सिंह नाबालिंग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका नाता अमरजीत कौर पत्नी सन्दीप सिंह पुत्री महेन्द्र सिंह जाति मजहबी सिख निवासी गांव 12 एच मोहल्ला हाल आबाद अक्कावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। (0.860 हैक्टेयर)	4 आर	16	2 9 12 19	0.101 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी	0.88 2.20 2.20 2.20

शेष खाते एंव रहन बदस्तूर रहेगें। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 17.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर